भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3970

12 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

कॉलोनियों के विकास के लिए कार्य-योजना

3970. श्री तालारी रंगैय्या :

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की दिल्ली में सभी अनधिकृत कॉलोनियों को विनियमित किए जाने के पश्चात् उन्हें विकसित करने की कोई कार्य-योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ कन्वर्जन चार्ज वसूल करेगी और यदि हां, तो प्रति वर्ग मीटर की दर क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अथवा बंधक रखने अथवा हस्तांतरण के अधिकार प्रदान करने या उन्हें मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विनियम, 2019 को 29 अक्टूबर, 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में ब्यौरा विनियमों में दिया गया है जो http://dda.org.in/tendernotices_docs/may2018/ATT0000431102019.pdf. पर उपलब्ध है । प्रभारों संबंधी ब्यौरा भी उपर्युक्त विनियमों में उपलब्ध है।

*****